

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 22/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 24.02.2021

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतदद्वारा अधिसूचना सं. 28/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.06.2020, का.आ.2229(अ) दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रकाशित,में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.3 के स्तंभ सं.3 में मौजूद शब्दों को "फा सं. DRI/AZU/JRU/Inq-10/2017-18 दिनांक 27.02.2020, दिनांक 12.12.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिस और दिनांक 12.12.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिस के शुद्धिपत्र दिनांक 13.01.2021 के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-16/2020]

(दीपक कुमार)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
2. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.02.2020 और दिनांक 12.12.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों और को-नोटिसियों को इस संदर्भ में सूचित करें।